

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 18 मई 2026 — वैशाख 28, शक 1948

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक/GENCOR/2453/2025-FOREST.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र.16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय चार में “संरक्षित वनों” के संबंध में उल्लेखित प्रावधानों को नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र पर लागू करने की घोषणा इस शर्तों के अध्याधीन करती है कि ऐसे वनों पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारों, जहाँ तक कि वे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर रूपांतरित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड राउरवाही उत्तर अक्षांश N 20°18' 09.11041" से N 20°18' 15.10878" एवं पूर्वी देशांश E 80°59'10.00474" से E 80°59' 15.49584" के बीच स्थित है, अर्थात्:-

अनुसूची

जिला-उत्तर बस्तर कांकेर		तहसील-दुर्गोकोन्दल		वन मण्डल-पूर्व भानुप्रतापपुर		वन परिक्षेत्र-दुर्गोकोन्दल
सं.क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का न.	राजस्व अभिलेख अनुसार भूमि की वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.में)	अवस्थिति/सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	राउरवाही	राउरवाही 07	घास) छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पक्ष में नामांतरित एवं हस्तांतरित)	66/2	1.400	निकटतम वन कक्ष क्रमांक एवं उसकी दूरी-आर.एफ 617 से लगभग 05 कि.मी. उत्तर -कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक पूर्व -कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक दक्षिण -कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक पश्चिम -कृत्रिम सीमा रेखा के सर्वे मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक
			योग		1.400	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रणय मिश्रा, विशेष सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 मई 2026

क्रमांक/GENCOR/2453/2025-FOREST.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/GENCOR/2453/2025-FOREST दिनांक 14-05-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.आर.सोन्टापर, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 14th May 2026

NOTIFICATION

File No./GENCOR/2453/2025-FOREST.— In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (N0. 16 of 1927), the State Government, hereby, declares that the provisions relating to “Protected Forest” mentioned in Chapter IV of the said Act shall be applicable to the areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Raurwahi lies between N 20°18' 09.11041" to N 20°18' 15.10878" North Latitude and E 80°59'10.00474" to E 80°59' 15.49584" East Longitude, namely:-

SCHEDULE

District-Uttar Bastarkanker Tahsil-Durgukondal Forest Division-East Bhanhpratappur Forest Range-Durgukondal						
S.No.	Name of Forest Block	Name of Village and Patwari Halka No.	Present Head of Land as per Revenue Record	Khasara No.	Area (inhec.)	Situation/Limit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Raurwahi	Raurwahi 07	Grass (Transferred and Mutated in favour of Government of Chhattisgarh Forest Department)	66/2	1.400	Nearest forest Compartment No. and its Distance- RF 617 about 05 K.M. North - Artificial boundary line survey pillar No. 01 to 02. East - Artificial boundary line survey pillar No. 02 to 03. South - Artificial boundary line survey pillar No. 03 to 04. West - Artificial boundary line survey pillar No. 04 to 01.
			Total		1.400	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRANAY MISRA, Special Secretary.